INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 10 | NOVEMBER - 2022

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का अध्ययन : जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में

इमिलियाना लकड़ा
सहायक प्राध्यापक, भाासकीय महाविद्यालय, रायगढ़ छ.ग.

सारांश :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामवासियों के उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनका विकास करने हेतु केन्द्र सरकार की योजना है। इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप एक योजना तैयार करती है। इस योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साकार करने की कोशिश की जाती है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो मनरेगा सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'हर हाथ को काम और हर काम को दाम' है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप में विद्यमान है। क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है।

प्रस्तावनाः–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का अध्ययन : जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितम्बर 2005 को पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इसे प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ लागू किया गया तथा अप्रैल 2008 में यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–

1.मनरेगा द्वारा किये गये कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु एवं व्यवसायों का अध्ययन करना।
2.मनरेगा से जशपुर जिले में लाभांवित लोगों का अध्ययन करना।
3.मनरेगा के कार्य संचालन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।
4.मनरेगा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के निवारण का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :–

विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। प्रस्तुत शोध में निम्न प्रविधियों का पालन किया गया है।

प्राथमिक आंकड़ो ं का एकत्रीकरण, वर्गीकरण व सारणीयन प्रश्नावली का चयन निदर्शन विधि का उपयोग, साथ ही द्वितीयक समंकों का निर्वचन व विश्लेषण प्रस्तुत शोध में निम्न **परिकल्पना** की गई है।

1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जशपुर जिले के ग्रामीण विकास में सहायक होगा।

2. जशपुर जिले के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहायक होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत नियोजन व क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पंचायत अपने स्तर पर प्रधान होता है परंतु संविधान के भाग–9 जिन स्थानों पर लागू नहीं होता वहां के समस्त कार्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय परिषदों/प्राधिकरणो ं द्वारा संपन्न कराये जाते हैं। मनरेगा की धारा 13 में योजनाएं चाहे वे जिला, मध्यवर्ती और ग्रामस्तर की योजनाएं हो मुख्य प्राधिकारी ही बनाती है। ग्राम सभा छोटी–छोटी परियोजनाओं की एक विकास योजना तैयार करती है और उसे मंजूर करके ग्राम पंचायत को भेजती है। ग्राम पंचायत उसे प्रारंभिक छानबीन और मंजूरी के लिए कार्यक्रम अधिकारी के पास भेज देता है। कार्यक्रम अधिकारी पंचायत के प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायत के प्रस्तावों को प्रखंड योजना (ब्लाक प्लान) में समेकित करता है और मध्यवर्ती पंचायत की स्वीकृति के बाद उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास भेज देता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रखंड योजना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करता है और जिला पंचायत प्रखंड दर प्रखंड योजनाओं का अनुमोदन करती है तथा राज्य व केन्द्र सरकार योजना के क्रियान्वयन में सहायता करती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अनेक स्तरों की भूमिकाएं शामिल है। **मुख्य स्तर** इस प्रकार हैः–

1.मजदूरी मांगने वाले
2.ग्राम सभा (जनपद पंचायत)
3.ग्राम पंचायत
4.ब्लाक (विकासखंड) स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी
5.जिला कार्यक्रम समन्वयक
6.राज्य सरकार : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता की वर्तमान स्थितिः .....
7.ग्रामीण विकास मंत्रालय
8.सिविल सोसायटी

कार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इस अधिनियम में उन कार्यों का भी वर्णन किया गया है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाए जाते हैं।

(i) वनीकरण, वृक्षारोपण और सूखे की रोकथाम से संबद्ध कार्य
(ii) जल संरक्षण एवं जल संग्रहण
(iii) भूमि विकास
(iv) सिंचाई नहरें, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य
(v) सिंचाई सुविधा, बागवानी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि का भू–विकास, इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि का भू–विकास, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की भूमि का भू–विकास। (vi)पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, टैंको/तालाबों की गाद सफाई का कार्य

मनरेगा की समस्याएंः–

- रोजगार (जॉब) कार्ड का अभाव
- कार्य के सही अनुमान का अभाव
- राशि का दुरूपयोग
- भुगतान में देरी
- भ्रष्टाचार

मनरेगा की चुनौतियांः–

- अशिक्षित श्रमिक
- फर्जी मस्टर रोल
- बैंक व डाकघर से भुगतान
- जॉब कार्ड उपलब्ध कराना
- अनुदान का अनियमित प्रवाह
- प्रशासनिक चुनौती

समाधान :–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को सरकार के द्वारा आवेदन से लेकर शिकायत निवारण तक की कार्य प्रक्रिया की जानकारी देकर उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए।
- फर्जी मस्टर रोल को रोकने के लिए श्रमिकों का भुगतान आधार भुगतान प्रणाली के द्वारा किया जाना चाहिए इसमें श्रमिकों का आधार नम्बर जॉब कार्ड में अंकित करवाकर बैंकों के माध्यम से भुगतान करना चाहिए।
- श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंको व डाकघरों को स्वयं आगे आना चाहिए व स्वयं ही औपचारिकता को पूरी करना चाहिए।
- सभी आवेदकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पर्याप्त निधि का भुगतान समय पर करना चाहिए ताकि परिवार को रोजगार उपलब्ध हो सके जिससे योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
- केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान मनरेगा को मिलना चाहिए जिससे कार्य को निश्चित समय के अंदर पूरा किया जा सके और श्रमिकों को भी समय पर रोजगार का भुगतान किया जा सके।
- रोजगार रजिस्टर, मस्टर रोल बिल, रसीद को सुरक्षित कर मनरेगा के प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।

- मस्टर रोल में प्रविष्टि करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।
- सरकार को रोजगार दिवस की जानकारी लेनी चाहिए जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि समय पर रोजगार दिवस निर्धारित की जा सके।
- मजदूरी भुगतान संबंधी बैंको व डाकघरों के माध्यम से होने वाली कठिनाईयों को दूर करनके के लिए आधार कार्ड भुगतान प्रणाली के द्वारा भुगतान करना चाहिए।
- अनुदान से प्राप्त राशि का लेखा जोखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिससे राशि के गबन होने की संभावना को दूर किया जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सके।

निष्कर्षः–

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। एक ओर जहां इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के हजारों अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है उनके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यह योजना बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। ग्रामीणों में क्रान्ति आई है। यह योजना ग्रामीण परिवारों का शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ राज्य को सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य की संज्ञा दी गई है।

संदर्भः–

1.शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008.
2.Mehta, G.S. Management of Mgnrega, The Right to Work.
3.Ranjan, Annita, Mgnrega and Women Empowerment.
4.Puthenkalam, Joseph John, Human Development Strategy of Mgnrega.
5.Purohit, Ashok, Mgnrega and Rural Development.
6.फड़िया, डॉ. बी.एल., शोध पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन
7.जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
8.यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास
9.पटेल, डी.सी. (2015). छत्तीसगढ़, विभाष कुमार, नैयर, डॉ. सौम्या, छत्तीसगढ़,